संख्या- 29 /691/24-1-2015-4182/2012

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 26 मार्च , 2015

विषय:-डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत् ग्रामों का विद्वुतीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1032/पीएसडीएफ/2015, दिनांक 21.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत् ग्रामों के विद्वुतीकरण हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को प्राविधानित धनराशि रूपये 1,41,79,00,000/- (रूपये एक सौ इकतालिस करोड़ उन्यासी लाख मात्र) में से वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के कार्यों के लिए रूपये 73,25,00,000/- (रूपये तिहत्तर करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की स्वीकृति शासनादेश संख्या-69/1613/24-1-14-4182/2012, दिनांक 28.08.2014 द्वारा एवं धनराशि रूपये 68,28,00,000/- शासनादेश संख्या-07/203/24-1-15-4182/2012, दिनांक 02.02.2015 प्रदान की गयी थी। अब अवशेष धनराशि रूपये 26,00,000/- (रूपये छब्बीस लाख मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3- प्रस्तर- 1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

http://sirsanadesh.up.nic.in

6- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा समस्त विद्युत वितरण निगमों से डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना (सामान्य योजना) से आच्छादित ग्रामों के नामों की जनपदवार सूची प्राप्त कर ऊर्जा विभाग एवं समग्र ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उन ग्रामों में कराये जाने वाले कार्यों का सत्यापन संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी द्वारा किया जा सके।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-04-समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों का विद्युतीकरण-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0- 60 /दस-2015, दिनांक 26 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या- /691(1)/24-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।
2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
3- सचिव, समग्र ग्राम विकास विभाग उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in